निगरानी / टी.ए./ 324 / 2017 / डूंगरपुर
महेन्द्र बनाम चम्पालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
22–1–26	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक प्रार्थी । श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी आसपुर जिला डूंगरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं.1 चम्पालाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद/प्रकरण अंतर्गत धारा 251–क, 188 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। लम्बित प्रकरण के दौरान प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26–10–2016 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने बिना ठोस कारण अंकित किये संक्षिप्त आदेश से खारिज किया है। प्रार्थीगण ने दस्तावेज जवाबदावा के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किये थे किंतु शहादत पत्रावली देखने से ज्ञात हुआ कि दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेज को पुनः प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर उन्हें रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। उनका कथन है कि न्यायालय को उदार रूख अपनाते हुये आदेश 8 नियम 3 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों अनुसार दस्तावेज अभिलेख पर लेने चाहिये। वादी अपनी शहादत में उक्त दस्तावेज का खंडन कर सकता है। प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व एवं लोक दस्तावेज है। प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो वाद के निस्तारण में महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे रिकोर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। दस्तावेजात रिकोर्ड पर लेने से प्रकरण की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पडता है और न ही इससे अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने से न्यायालय के समक्ष सही तथ्य आ सकेंगे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात रिकोर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित करावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का सारतः कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किये है जबकि उन्हें यह दस्तावेजात जवाबदावे के साथ पेश करने चाहिये थे। प्रस्तुत दस्तावेज फोटो प्रति होकर अप्रमाणित प्रतियां है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नियमानुसार खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण के दौरान प्रार्थीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेज को रिकोर्ड पर लेने का निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश से खारिज किया है, जिसकी विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में साक्ष्य वादी पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज पेश करने पर वादी के दस्तावेज पर खंडन एवं साक्ष्य का अवसर नहीं रहने से प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। 7. यह तथ्य निर्विवाद है कि मूल प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है और उसमें उभय पक्ष के हक हकूक एवं अधिकार, न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही, विश्लेषण एंव विवेचन करने के पश्चात ही तय होने है। यद्यपि दस्तावेज जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात पेश किये गये है एवं वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य व जिरह हो चुकी है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत सिविल अपील नंबर 4096/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 17–5–22 में प्रतिपादित किया है कि :– "Order 8 Rule 1 Additional document's a part/ not to be deprived to file documents even if there is some delay as it will lead to denial of justice. If there is delay, court to impose costs rather than to decline Production of ducments." 8. हमारी सुविचारित राय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व/लोक दस्तावेज है, जो प्रकरण के निर्णयन में सहायक सिद्ध हो सकते है, जिन्हें अभिलेख पर लिये जाने से किसी भी पक्ष के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा, अपित् प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के निर्णय में सहायक ही सिद्ध होंगे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश करते समय उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उन पर कोस्ट लगाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायसंगत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर हस्तगत् निगरानी प्रार्थना पत्र रू. 1000/– की कॉस्ट भुगतान करने की शर्त पर	

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 26–10–2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकोर्ड पर लिये जाने की अनुमति दी जाती है। अप्रार्थीगण प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन हेतु साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य